न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11 / 2017

1 सुरेन्द्र कुमार उम्र 59 वर्ष पुत्र गोकुलचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 08.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी शिवलाल जाट आर.ए.एस. बउनवानी प्रकरण सुरेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारक दावा बाबत घोषणार्थ मुकदमा नम्बर 70 / 2016

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.02.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 70/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम छापोली की भूमि गत खसरा नम्बर 543 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहते हुये हाल खसरा नम्बर 1787 बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 03.03.2016 को दावा प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 28.03.2016, 30.05.2016 ,28.06.2016, 26.08.2016, 18.10.2016, 30.12.2016 एवं 16.03.2017 को तलबी में नियत रही है। इसके पश्चात 09.06.2017 नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना नियत तिथि से पूर्व दिनांक 08. 06.2017 को विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजकीय पहाड़ी तथा पर्वत चारागाह हेतु दर्ज रिकार्ड है। ऐसी भूमियां प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। विचारण न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में दिनांक 03.03.2016 को दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 28.03.2016, 30.05.2016 ,28.06.2016, 26.08.2016, 18.10.2016, 30.12.2016 एवं 16.03.2017 को तलबी में नियत रही है। इसके पश्चात 09.06.2017 नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना नियत तिथि से पूर्व दिनांक 08.06.2017 को विधिक प्रकिया पूर्ण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर